न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 115/2018

1 सुवा देवी उम्र 63 वर्ष पुत्री रामचन्द्र जाति कुमावत निवासी वार्ड नं. 5 श्याम बगीची के पिदे, खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर हाल निवासिनी पत्नि भंवरलाल जाति कुमावत निवासी दांता तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.

अपीलांट

बनाम

1 कमला देवी बेवा भंवरलाल
2 दीपचन्द पुत्रगण भंवरलाल
3 दिनेश
4 गोपाल पुत्रगण रामचन्द्र जाति कुमावत निवासीगण खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर
5 सुरेश चौधरी धर्मपत्नि जगदीश प्रसाद चौधरी जाति जाट निवासी राणासर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
6 छगन कंवर धर्मपत्नि शिवराज सिंह जाति चारण निवासी भाउजी की ढाणी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
7 कौशल्या देवी पत्नि दिनेश कुमार जाति कुमावत निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर
8 रमाप्रकाश पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी दांता तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर
9 रामेश्वरलाल पुत्र बद्रीनारायण
10 रामचन्द्र पुत्र बद्रीनारायण
11 सांवरमल पुत्र बद्रीनारायण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

12 जिनकी देवी उर्फ जिनकू पत्नि बद्रीनारायण
13 सुगनी देवी पुत्री बद्रीनारायण
14 भंवरी देवी उर्फ सुनीता पुत्री बद्रीनारायण समस्त जाति जाट निवासीगण खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर
15 उप पंजीयक दांतारामगढ़ जिला सीकर
16 तहसीलदार दांतारामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2001 मु.नं. 726/1999 (डिक्री में मु.नं. 729/1999 अंकित है)
बउनवानी कमला देवी आदि बनाम रामचन्द्र आदि
न्यायालय सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर
अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट

उपस्थिति :

1. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 2012-12

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय, सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 726/1999 (729/1999) में पारित निर्णय दिनांक 28.05.2001 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने योग्य अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद बाबत उद्घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2/प्रतिवादी तथा अपीलांट के मृतक पिता रामचन्द्र/प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि मृतक रामचन्द्र के दो पुत्र भंवरलाल व गोपाल है तथा भंवरलाल का स्वर्गवास हो चुका है व पैत्रिक कृषि भूमियां खसरा नम्बर 2477 रकबा 0.42 हैक्टर व खसरा नम्बर 2281, 2455, 2457, 2458, 2459, 2478 कुल किता–6 कुल रकबा 2.87 हैक्टर वाके ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है। जिनका विधिवत बंटवारा नही हुआ है। वादिनी संख्या 1 गरीब विधवा औरत है जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादग्रस्त भूमियो में वादीगण को बेदखल करने का आमादा है इसलिए उपरोक्त भूमियो में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जावे एंव बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जाकर अलग अलग लगान निर्धारित किया जावे व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे। उक्त आशय के वाद में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट के पिता व प्रतिवादी संख्या 2/रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने दिनांक 05.07.2000 को राजीनामा पेश किया व दिनांक 28.05.2001 को उद्घोषणा के बाबत निर्णय व डिक्री पारित करते हुए दावा स्वीकार किया। इससे व्यथित होकर धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा द्वारा वाद प्रस्तुत करते हुए अपीलांट के तत्समय जीवित पिता रामचन्द्र की वंशावली में केवल मात्र दो पुत्रो भंवरलाल व गोपाल को अंकित व दर्शित किया एवं प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 2/रेस्पोडेन्ट संख्या 1/ अपीलांट के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 2/ रेस्पोडेंट संख्या 1 ने दुरभिसंधी कर अपीलांट को इसके वैध हक अधिकारो से वंचित करने की कुयोजना से दिनांक 05.07.2000 को राजीनामा पेश किया जिसमें भी अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

के मृतक पिता रामचन्द्र के दो पुत्र होने का ही अभिकथन किया व वंशावली में दर्शित किया जबकि अपीलांट मृतक रामचन्द्र की जांयदा पुत्री है जिसे वंशावली व राजीनामा में दर्शित व अंकित ही नही किया। वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत वाद की विवादित भूमियों में अपीलांट मृतक रामचन्द्र की जांयदा पुत्री होने, प्रथम श्रेणी की वारिस होने से मृतक रामचन्द्र व उनके पुत्रों के समान ही बराबर के हक हिस्से में अपने पिता सहित 1/4 हक हिस्सा तथा संपूर्ण भूमियों में 1/8 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है परन्तु अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने दुरभिसंधी कर योग्य अधिनस्थ न्यायालय को मुगालता देकर प्रथम वारिस/अपीलांट को छुपाकर अपीलांट की बिना जानकारी के निर्णय व डिक्री प्राप्त किया। अपीलांट का पिता रामचन्द्र नशे का आदि व निरक्षर व्यक्ति था जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 4 गोपाल व रेस्पोडेन्ट संख्या 8 रमाप्रकाश ने अपने प्रभाव में ले रखा था व अपीलांट के पिता की नशे की आदत का नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 8 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 4 को दुरभिसंधी में शामिल कर लिया जिसका स्पष्ट प्रमाण भी यह कि दावा दायरी के पश्चात व निर्णय व डिक्री से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 8 ने किता 2 विक्रय पत्र दिनांक 21.06.2001 व 13.08.2001 अपने पक्ष में अपीलांट के पिता से तहरीर करवा लिए तथा योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित किए जाने के पश्चात अपीलांट के पिता रामचन्द्र द्वारा कराये विक्रय पत्रो बहक रेस्पोडेन्ट संख्या 8 को का नामान्तकरण संख्या 475 रामचन्द्र व गोपाल दोनो की खातेदारी का रेस्पोडेन्ट संख्या 8 ने अपने पक्ष में तस्दीक करवा लिया जबकि गोपाल/रेस्पोडेन्ट संख्या 4 द्वारा तो कोई विक्रय लेख तहरीर व निष्पादित ही नही करवाया गया। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित किए जाने के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 5 को बेचान कर दिया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 6 को तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 7 को एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के द्वारा बिना बेचान किए ही रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की एवं अपीलांट के मृतक पिता रामचन्द्र के नाम की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 8 के नाम अंकित हो गयी तथा कुछ भाग रेस्पोडेन्ट संख्या 8 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 9 ता 14 के पति व पिता बद्रीनारायण को विक्रय कर दिया तथा ब्रदीनारायण का स्वर्गवास हो चुका है इसलिए अपील में केताओ को एवं उनके उतराधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमियों के बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत वाद में भूमियों पैत्रिक होना अभिकथित करते हुए अपीलांट के पिता की वंशावली में अपीलांट का नाम अंकित व दर्शित नही किया तथा राजीनामा में भी अपीलांट का वंशावली में नाम अंकित नहीं किया तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने जानबुझकर अपीलांट तत्समय जीवित रामचन्द्र की पुत्री होने व प्रथम श्रेणी की वारिस होने के बावजूद भी वंशावली व वाद पत्र में शामिल नहीं किया परन्तु किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रथम श्रेणी के वारिसान की गलत जानकारी देने या छुपा लेने पर उसके वैध हक अधिकार समाप्त नही हो सकते तथा वादग्रस्त भूमियां अपीलांट की पैत्रिक कृषि भूमियां है इसलिए योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से अपीलांट व्यथित पक्षकार है। जिसे धारा 96 का आवेदन स्वीकार कर अपील करने की इजाजत दिया जाना उचित आवश्यक व न्याय संगत है । अपीलांट अनपढ़ व ग्रामीण महिला है। अज्ञानता के कारण एवं समुचित विधिक राय के अभाव में समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर पाई है। न्यायहित में धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपील स्वीकार की जाये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2001 की जानकारी सितम्बर 2005 से ही रही है। सितम्बर 2005 से अपीलांट ने विवादित भूमि के संदर्भ में निस्पादित विक्रय पत्रों को सिविल न्यायालय में चुनौती दे रखी है। वर्तमान में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। अपीलांट का कथन रहा है कि वर्तमान अपील प्रस्तुत करने की विधिक राय अधिवक्ता माननीय राजस्थान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उच्च न्यायालय द्वारा दिये जाने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है। विवादित भूमि पैतृक रही है। अपीलांट का अपने पिता रामचन्द्र की भूमि में प्रथम श्रेणी की वारिस होने के कारण हक हिस्सा है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक आवेदन धारा 96 सीपीसी का प्रश्न है विचारण न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमियों के बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत वाद में भूमियों पैतृक होना अभिकथित करते हुए अपीलांट के पिता की वंशावली में अपीलांट का नाम अंकित व दर्शित नहीं किया तथा राजीनामा में भी अपीलांट का वंशावली में नाम अंकित नहीं किया तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने जानबुझकर अपीलांट तत्समय जीवित रामचन्द्र की पुत्री होने व प्रथम श्रेणी की वारिस होने के बावजूद भी वंशावली व वाद पत्र में शामिल नहीं किया परन्तु किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रथम श्रेणी के वारिसान की गलत जानकारी देने या छुपा लेने पर उसके वैध हक अधिकार समाप्त नहीं हो सकते है तथा वादग्रस्त भूमियां अपीलांट की पैतृक कृषि भूमियां है। ऐसी स्थिति में अपीलांट प्रभावित पक्षकार होना साबित है अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमियां पैतृक होना, अपीलांट प्रथम श्रेणी की वारिस होना, अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना, अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

सत्यमेव जयते

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

किया जाता है कि अपीलांट को बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित कर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.01.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 20/12/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर